10

न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः—प्रकाश राजपुरोहित

अपील संख्या 39/2011

द्वारकाप्रसाद लीला पुत्र श्री देवीलाल जाति अग्रवाल, उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं. 4—बी, हनुमानगढ़ टाउन।

—अपीलार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़।

—प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी दिनांक 18.10.2011 जिसके अन्तर्गत प्रकरण संख्या 25/10 शीर्षक सरकार बनाम द्वारका प्रसाद में अपीलार्थी के प्राधिकार—पत्र संख्या 326/2002 को निरस्त करते हुए जमाशुदा प्रतिभूति को जब्त सरकार करने के आदेश दिये गये, को अपास्त करने हेतु अपीला का ज्ञापन।

उपस्थितः—1—श्री अनुभव सिडाना वकील अपीलार्थी
2—श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से

निर्णय दिनांकः—08.02.2017

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम(अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश 1980 के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र संख्या 304/80 प्राप्त किया हुआ था। जिसके अंतर्गत प्रार्थी के द्वारा मिट्टी के तेल का विक्रय किया जाता था, बाद में खाद्य विभाग के द्वारा

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

परिवर्तित की गई नीतियों के अंतर्गत अपीलार्थी के उक्त आदेश 1980 के अंतर्गत प्राप्त अनुज्ञा पत्र को आदेश 1976 में परिवर्तित किया जाकर नया प्राधिकार पत्र 326/2002 जारी किया गया। फलस्वरूप इस व्यवस्था के अधीन अपीलार्थी हनुमानगढ़ टाउन के वार्ड नं0 4 बी की उचित मूल्य दुकान का दुकानदार हो गया। खाद्य विभाग के परिपत्र दिनांक 28.11.2002 जिसके अंतर्गत आदेश 1980 के तहत केरोसीन हेतु अनुज्ञा पत्र धारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आदेश 1976 के अंतर्गत प्राधिकृत किये जाने के निर्देश जारी किए गए थे, मे यह व्यवस्था दी गई थी कि इस परिवर्तन के संदर्भ में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन/चयन से संबंधित विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश किन मामलों में प्रभावित नहीं होंगे। इस प्रकार अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र जो प्रारम्भ में आदेश 1980 के अंतर्गत था, कालान्तर मे आदेश 1976 के अंतर्गत प्रभावी हो गया एवं इस प्रकार आदेश 1976 के प्रावधान ही हर प्रकार से अपीलार्थी पर प्रभावी रह सकते हैं लेकिन इस सन्दर्भ में खाद्य विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देश लागू नहीं होते है।

अपीलार्थी का अपने ताउ–चाचा के भाईयों के साथ श्रीगंगानगर में स्थित पैतृक सम्पतियों को लेकर गत 20–25 वर्षों से विवाद चल रहा है एंव इस विवाद के कारण अपीलार्थी का चचेरा भाई श्यामसुन्दर लीला बार–बार शिकायतें करता रहता है और इस कारण अनेक बार अपीलार्थी को बिना किसी अपराध के अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी श्रृंखला में अपीलार्थी के विरूद्व पूर्व में प्रस्तुत की गई शिकायतों के आधार पर ही शिकायत की गई कि अपीलार्थी मूल रूप से श्रीगंगानगर का रहने वाला है और उसके द्वारा तथ्य छुपाकर उचित मूल्य की दुकान का आवंटन करवाया गया है। इस शिकायत पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण संख्या 25/2010 पंजीबद्व किया जाकर जांच प्रारम्भ की गई एंव जांच अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाये जाने का उल्लेख अपनी जांच रिपोर्ट में किया गया। शिकायतकर्ता श्यामसुन्दर लीला के द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर व्यक्त किये जाने पर पुनः नायब तहसीलदार हनुमानगढ़ से जांच करवाई गई, जिनके द्वारा अपनी जाचं रिपोर्ट में लिखा गया कि मौके पर आधा लीटर का नाप नहीं पाया गया, जांच के समय वितरण का रिकॉर्ड मौके पर उपलब्ध नहीं था, दुकान का संचालन अपीलार्थी स्वयं नहीं करके अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अपीलार्थी स्थायी रूप से श्रीगंगानगर का रहने वाला है। इस जांच रिपोर्ट का अवलम्ब लेकर जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त करते हुए जमाशुदा प्रतिभूति राशि को जब्त करने के आदेश दिये गये। जिसके विरूद्व यह अपील की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि नायब तहसीलदार हनुमानगढ़ के द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच नही की गई एवं ना ही जांच के सम्बन्ध में अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान पर किसी प्रकार का कोई जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया। केवल वितरण रजिस्टर का निरीक्षण करके उसमें

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

हस्ताक्षर कर दिये। अपीलार्थी की दुकान में वर्ष 2009 में प्रमाणित किये हुए हर प्रकार के माप मौके पर विद्यामन थे। अपीलार्थी हनुमानगढ में अपने भाई के पास रहता है और स्वयं उचित मूल्य की दुकान का संचालन करता है। अपीलार्थी के विरूद्ध वार्ड के उपभोक्ता के द्वारा कोई शिकायत नही की है। अपीलार्थी के अभिलेख में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही पाई गई है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 17.08.2009 में अपीलार्थी उचित मूल्य की दुकान का स्वयं संचालन करना माना गया है। अपीलार्थी श्रीगंगानगर जिले का स्थाई निवासी है लेकिन रिहायश हनुमानगढ में भी करता है। आदेश 1976 के खण्ड 3 के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र के लिए स्थान विशेष का निवासी होनें जैसा कोई उपबन्ध अथवा शर्त नही है। प्राधिकार पत्र उसी दिशा में निरस्त किया जा सकता है यदि अपीलार्थी द्वारा आदेश 1976 की क्लॉज 8 के अन्तर्गत किसी प्रकार की कोई उल्लंधना की गई हो। एक ही विशष वस्तु के संबंध में अपीलार्थी को अभियोजित किया जा चुका है और उसका निष्कर्ष भी अपीलार्थी के पक्ष में गया। जिस शिकायतकर्ता द्वारा बार–बार शिकायत की जाती है वह अपीलार्थी का रिस्ते में भाई है जिनका अपीलार्थी के साथ पैतृक सम्पति को लेकर विवाद चल रहा है। अपीलार्थी के पास शुरू से अविभाजित श्रीगंगानगर–हनुमानगढ के समय से पूर्व का प्राधिकार पत्र है। हनुमानगढ जिला बनने के पश्चात खाद्य विभाग की परिवर्तित नीतियो के अन्तर्गत उचित मूल्य का दुकानदार प्रतिस्थापित हुआ और रंजिश की वजह से गत कई वर्षो से अपीलार्थी केवल मात्र इसी आधार पर बार–बार अभियाजित किया जाता रहा है कि वह श्रीगंगानगर का रहने वाला है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा खाद्य विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशो का अवलोकन करे बिना तथा अपीलार्थी की आपतियो पर कोई ध्यान दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र को बहाल किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी स्थाई रूप से श्रीगंगानगर जिले में निवासी करता है। अपीलार्थी स्वयं उचित मूल्य की दुकान पर नही बैठता हैं। अपीलार्थी द्वारा अपनी उचित मूल्य दुकान से किसी अन्य व्यक्ति से सामग्री का वितरण का कार्य करवाया जाता है। अपीलार्थी हनुमानगढ में अपने भाई के साथ निवास करने संबंधि कोई साक्ष्य पेश नही किया गया। जांच के वक्त अपीलार्थी द्वारा सामग्री वितरण रजिस्टर उपलब्ध नही करवाया गया। जांच के वक्त अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान में आधा लीटर का नाप नही मिला। अपीलार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंधन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी के वकील ने दोराने बहस यह कथन किया कि अपीलार्थी अपने भाई के साथ निवास करता है इसके संबंध में कोई साक्ष्य उसके द्वारा पेश नही किया गया। अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान की जांच नायब तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा वितरण रजिस्टर उपलब्ध नही करवाया गया। जांच के वक्त अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान में आधा लीटर

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

13

का नाप नही मिला। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान की गई जांच के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है। अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय दिनांक 08.02.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ